

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2021/ 2263 दिनांक:- 03/12/2021

आदेश संख्या 51/2021-22

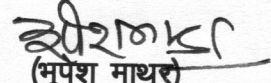
वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क. सं.	लिंक नम्बर	प्रथम नियुक्ति का मेरिट/बैंच	क0 लेखाकार (सर्वश्री)	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	8585	364/1992	गोपाल लाल शर्मा	12.06.1962	30.06.2022	-----
2	1349	262/1986	रामप्रसाद शर्मा	04.08.1962	31.08.2022	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में प्रकरण लंबित है।
3	8562	894/1986	केजार अली	08.08.1962	31.08.2022	-----
4	1268	DGS	राजीव कुमार जैन	15.09.1962	30.09.2022	-----
5	3808	524/1986	शीशराम दुलार	17.11.1962	30.11.2022	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में प्रकरण लंबित है।
6	4786	497/1988	लक्ष्मीनारायण शर्मा	14.12.1962	31.12.2022	-----

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में क. सं. 02 एवं 05 को छोड़कर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकारों में से, राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।


(मूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2021 2263

दिनांक:- 03/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
5. अतिरिक्त निजीसचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)